

**बिहार सरकार**  
**खान एवं भूतत्व विभाग**

**आदेश**

श्रीमती ममता कुमारी, निम्नवर्गीय लिपिक, जिला खनन कार्यालय, जमुई को प्रशासनिक दृष्टिकोण से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। श्रीमती ममता कुमारी, निम्नवर्गीय लिपिक का निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला खनन कार्यालय, पटना निर्धारित किया जाता है। श्रीमती कुमारी को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

2. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।
3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(भारत भूषण प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-प्र0-I/अरा0(स्था0)(क्षे0वि0)-16/24-...../एम0, पटना, दिनांक.....  
प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, जमुई को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-प्र0-I/अरा0(स्था0)(क्षे0वि0)-16/24-...../एम0, पटना, दिनांक.....  
प्रतिलिपि:-जिला कोषागार पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-प्र0-I/अरा0(स्था0)(क्षे0वि0)-16/24-...../एम0, पटना, दिनांक.....  
प्रतिलिपि:-खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-प्र0-I/अरा0(स्था0)(क्षे0वि0)-16/24-...../एम0, पटना, दिनांक.....  
प्रतिलिपि:-श्रीमती ममता कुमारी, निम्नवर्गीय लिपिक, जिला खनन कार्यालय, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-प्र0-I/अरा0(स्था0)(क्षे0वि0)-16/24-3537...../एम0, पटना, दिनांक02/06/26  
प्रतिलिपि:-सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/आरोप शाखा (मुख्यालय)/आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव